

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

कमांक 1945
प्रति, /4/यूजी/संचिशि/2019


भोपाल, दिनांक 12 / 07 / 2019

अधिष्ठाता,
अमलतास मेडिकल कॉलेज,
देवास ।

Sub:- Order passed in appeal No. 68/2019 dated 12/07/2019
Ref:- Your letter No. 00194 dated 15/07/2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि चूंकि नीट यू0जी0 2019 की काउंसिलिंग की कार्यवाही दिनांक 21.06.2019 से प्रारम्भ हो चुकी है, अतः वर्तमान में अभ्यर्थियों से पूर्व प्रदर्शित फीस ली जाय एवं काउंसिलिंग समाप्ति के पश्चात् महाविद्यालय में अंतिम रूप से प्रवेशित छात्रों से अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा संशोधित फीस एवं पूर्व प्रदर्शित फीस का अंतर प्राप्त किया जाये । इस संबंध में वर्तमान में जारी काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से रुपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाय कि उनके द्वारा काउंसिलिंग उपरांत अंतिम रूप से संस्था में प्रवेशित होने पर फीस के अंतर भुगतान संस्था को करेगा ।

साथ ही बढी हुई फीस की सूचना, अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा पारित आदेशों को निर्धारित पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा चुका है ।
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित



संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक /07/2019

पू0कमांक /4/यूजी/संचिशि/2019

प्रतिलिपि:-

1-
2-

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश